फर्द अहकाम

मूली बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र संख्या: 93 / 2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
04.07.2024	प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 को पेश है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी ने प्रार्थीया उपरोक्त पते की निवासी है तथा प्रार्थीया व अन्य खातेदारो की आराजी कृषि भूमि जिसके खाता संख्या नया 26 पुराना 45 मे वर्णित खसरा नम्बर 243 रकबा 0.21 हैक्टयर, खसरा नम्बर 257 रकबा 0.18 हैक्टयर, खसरा नम्बर 264 रकबा 0.65 हैक्टयर, खसरा नम्बर 477 रकबा 0.51 हैक्टयर, खसरा नम्बर 478 रकबा 0.57 हैक्टयर, खसरा नम्बर 490 रकबा 0.53 हैक्टयर, खसरा नम्बर 491 रकबा 0.05 हैक्टयर, कुल किता 7 कुल रकबा 2.70 हैक्टयर, जो वाके ग्राम खेडीगोकुलपुरा पटवार हल्का खेडीगोकुलपुरा, भू.अ.नि.क्षे शिकारपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर मे स्थित है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया लिपिकिय त्रुटि दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम मुन्ना देवी, मूली देवी के स्थान पर मूली यादव पत्नी जगदीश यादव दर्ज करने के आदेश फरमाने की कृपा करे। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस प्रार्थी ने निवेदन किया कि लिपिकिय त्रुटि दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम मुन्ना देवी, मूली देवी के स्थान पर मूली यादव पत्नी जगदीश यादव दर्ज करने के आदेश फरमाने की कृपा करे। बहस प्रार्थी अधिवक्ता एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन कराने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को प्रार्थीया व अन्य खातेदारो की आराजी कृषि भूमि जिसके खाता संख्या नया 26 पुराना 45 मे वर्णित खसरा नम्बर 243 रकबा 0.21 हैक्टयर, खसरा नम्बर 257 रकबा 0.18 हैक्टयर, खसरा नम्बर 264 रकबा 0.65 हैक्टयर, खसरा नम्बर 477 रकबा 0.51 हैक्टयर, खसरा नम्बर 478 रकबा 0.57 हैक्टयर, खसरा नम्बर 490 रकबा 0.53 हैक्टयर, खसरा नम्बर 491 रकबा 0.05 हैक्टयर, कुल किता 7 कुल रकबा 2.70 हैक्टयर, जो वाके ग्राम खेडीगोकुलपुरा पटवार हल्का खेडीगोकुलपुरा, भू.अ.नि.क्षे शिकारपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर मे रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम मुन्ना देवी के स्थान पर प्रार्थीया का नाम सही नाम मूली यादव पत्नी जगदीश यादव दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:35:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)